

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 1982/कार्तिक 14, 1904
No. 327] NEW DELHI, FRIDAY, OCT 5, 1982/KARTIKA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

ऋषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1982

सां. कां. सिं. 663(अ) —केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम 1962
(1962 का 58) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम निदम 1983 में और सशोधन करने के लिए
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 (1) इस नियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (सशोधन) नियम 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डागारण निगम नियम, 1983 के नियम 3 में, खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“(iv) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार, के केन्द्रीय एक्साइज तथा कस्टम बोर्ड का एक प्रतिनिधि;”

[फा० नं० 6—10/79—ए० जी०
एच० डी० बन्सल, संयुक्त सचिव]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

New Delhi, the 5th November, 1982

NOTIFICATION

G.S.R. 663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (2) of Section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, namely,

1. (1) These rules may be called the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, in rule 3, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iv) a representative of the Central Board of Excise and Customs in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Government of India.”

[F. No. 6-10/79-SG]
H. D. BANSAL, Jt. Secy.